उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0 सी- 65 /तक0प्र0/ /18-19 दिनॉक: 2-11-18

समस्त शाखा प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
उत्तर प्रदेश।

"अति आवश्यक"

विषय-डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस)-अनुदान पर ब्याज की गणना तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित करने सम्बन्धी विषयक।

नाबार्ड के पत्र संदर्भ सं0 रा.बै./उ0प्र0क्षेका लख/डार-एलटी/717/जीएसएस(यूसी) 18-19 दि0 16.10.18 संलग्न द्वारा अवगत कराया गया है कि बैंक द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत वितरित ऋणो पर कतिपय शाखाओ द्वारा नाबार्ड से प्राप्त अनुदान पर भी अनुदान प्राप्त हो जाने के बाद भी) ब्याज की गणना की जा रही है जबकि नाबार्ड के निर्देश के अनुसार अनुदान की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त उक्त धनराशि घटाकर केवल अवशेष ऋण राशि पर ब्याज की गणना की जायेगी तथा जब तक नाबार्ड से अनुदान की धनराशि प्राप्त नही हो जाती है तब तक ही सम्पूर्ण ऋण राशि पर ब्याज की गणना की जायेगी।

2.नाबार्ड द्वारा विभिन्न पत्रो के माध्यम से ऋण उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये है। जिसके कम मे आपको कार्यालय के परिपत्र संख्या सी 80/ तक0प्रको0/ 17-18 दिनॉक 11.01.18 द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है किन्तु खेद का विषय है कि शाखाओ द्वारा इस निर्देशो का अनुपालन नही किया जा रहा है। उपरोक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में अनुदान की धनराशि प्राप्त होते ही अनुदान घटाकर शुद्व ऋण राशि पर ही ब्याज की गणना की जाए तथा प्राप्त अनुदान को लाभार्थी के ऋण में समायोजन करते हुए सदपयोगिता प्रमाणपत्र तत्काल तकनीकी अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/शिथिलता होने व उसके कारण बैक को कोई वित्तीय क्षति होने की स्थिति मे उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व शाखा प्रबन्धक का होगा।

संलग्नक-यथोपरि।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- निम्नॉकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित-

1) समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अपने मण्डल की समस्त शाखाओं से उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करे।

(2) समस्त जनपदीय प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(3) उप महाप्रबन्धक (कम्प्यू0),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई-मेल द्वारा समस्त जनपदीय प्रबन्धको को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक(तकनीकी)